File_12_32029_2Mar2005_C01_Translated

[Logo]

एस. रामास्वामी, आयएएस कार्यकारी निदेशक rswamy@gjepcindia.com

सन्दर्भ: GJC/KP_Circular/2004-05/

2 मार्च 2015

परिपत्र

विषय: निर्यातकों के लिए जारी किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणपत्र की वैधता अवधि

सभी संबंधित लोगों का ध्यान दिनांक 10 नवंबर 2003 के परिपत्र सं. जीजेसी/केपी/2003-04 की तरफ आकर्षित किया गया, जो अपरिष्कृत हीरों के आयातकों एवं निर्यातकों की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

अक्टूबर 2004 में गतिनेऊ (ओटावा)), कनाडा में हुई प्लेनरी सभा में किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन योजना ने किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणपत्रों की वैधता जारी की गयी तिथि से 60 कैलेंडर दिनों तक रखने के निर्णय का स्वीकरण किया है।

दिनांक नवंबर 2003 के परिषद के परिपत्र (उपर्लिखित से संबंधित) इस प्रभाव को संशोधित समझा जाना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत से निर्यात होने वाले अपरिष्कृत हीरों के लिए जारी किये गए किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणपत्र की वैधता 60 कैलेंडर दिवस है (तत्कालिक प्रभाव से)।

[Signature]

एस. रामास्वामी

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

टॉवर बी, बीई-1010ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. (भारत)

फोन: 91-22-2654 4600 फैक्स: 91-22-26544717 CIN: U99100MH1966GAP013486

ई-मेल: kp@gjepcindia.com/ho@gjepcindia.com वेबसाईट:http://www.gjepc.org